की परिक्षण एवं प्रतिपादित किया गया तथा गलती से मुक्त किया गया। प्रथम पक्ष की ओर से न्यायालय में एक आवेदन समर्पित किया गया कि उक्त वाद में मुकदमा का निष्पादन हेतु 2 (दो) माह समय बढ़ाने की मांग की गई है।

प्रथम पक्ष के द्वारा समर्पित आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। दिनांक 06-04-18 को रखें।

06-04-18 पीठासीन पदाधिकारी का पंचायत चुनाव कार्य में व्यस्त। दिनांक 27-04-18 को रखें।

27-04-18 अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित द्वितीय पक्ष क्रमांक 01 उपस्थित अन्य अनुपस्थित। उक्त वाद में 6 (छ:) माह की अवधि पूर्ण हो चुकी है अर्थात वाद कालबाधित हो गया है। अतः वाद में अभिलेख की कारवाई बन्द की जाती है।

कार्यपालक दण्डाधिकारी
बुण्डू (राँची)